

पत्रांक 500(A)/02 व्यघ-सा0/22

दिनांक 08/07/22

कार्यालय ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या 1/46628/2022 दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 500/02 व्यघ-सा0/22 दिनांक 08.07.2022 द्वारा श्री मुनीष कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), पी0आई0यू0, बद्दीनाथ (मु0-जोशीमठ) का स्थानान्तरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, धुमाकोट को कार्यहित में किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

स्थानान्तरण वर्ष 2022-23 हेतु सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची तैयार कर विभागीय वेबसाइट में अपलोड की गयी थी। कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) के सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की प्रकाशित सूची में श्री मुनीष कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), तत्कालीन पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कोटद्वार (सतपुली) का नाम भी सम्मिलित था, जिसके क्रम में उक्त कार्मिक द्वारा अपने ऐच्छिक स्थल इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये। इस बीच शासकीय ज्ञाप संख्या 1151/111(1)/2020-24509/EST/14/2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा श्री मुनीष कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कोटद्वार (सतपुली) का स्थानान्तरण पी0आई0यू0, बद्दीनाथ (मु0-जोशीमठ) किया गया, जिसके अनुपालन में कार्मिक द्वारा तैनाती कार्यालय में दिनांक 27.06.2022 को योगदान किया गया।

चूँकि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत समस्त पात्रता सूचियाँ विभागीय वेबसाइट में अपलोड की जा चुकी थी तथा पात्र कार्मिकों द्वारा अपने ऐच्छिक स्थल भी उपलब्ध कराये जा चुके थे, अतः स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के तहत श्री मुनीष कुमार, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) जिनका नाम सुगम से दुर्गम की पात्रता सूची में सम्मिलित था पर विचार किया गया। उक्त कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्प (राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, धुमाकोट) में पद रिक्त होने के कारण उपरोक्त वर्णित ज्ञाप दिनांक 08.07.2022 द्वारा संशोधित स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये जिसमें कार्मिक के पात्रता सूची में अंकित पूर्व कार्यालय का नाम अंकित होने से रह गया। अतः इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 500/02 व्यघ-सा0/22 दिनांक 08.07.2022 से किये गये स्थानान्तरण आदेशों को निम्नवत् सीमा तक संशोधित समझे जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं। स्थानान्तरण आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

क्र० सं०	नाम/पदनाम	तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री मुनीष कुमार अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, कोटद्वार (सतपुली)	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, धुमाकोट	17(1) (क)

ह0-

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0, पौड़ी/देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 07 वॉ/राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर/देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
5. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 बद्दीनाथ (मुख्यालय-जोशीमठ)।
6. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, धुमाकोट।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, कोटद्वार (सतपुली)।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
10. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
08.07.2022

पत्रांक 528(A)/02 व्यघ-सा0/22

दिनांक 08/07/2022

कार्यालय ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या 1/46628/2022 दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 528/02 व्यघ-सा0/22 दिनांक 08.07.2022 द्वारा श्री ओम प्रकाश गोस्वामी, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल का स्थानान्तरण निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर को कार्यहित में किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

स्थानान्तरण वर्ष 2022-23 हेतु सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची तैयार कर विभागीय वेबसाइट में अपलोड की गयी थी। कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) के दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की प्रकाशित सूची में श्री ओम प्रकाश गोस्वामी, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), तत्कालीन पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा का नाम भी सम्मिलित था, जिसके कम में उक्त कार्मिक द्वारा अपने ऐच्छिक स्थल इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये। इस बीच शासकीय ज्ञाप संख्या 1149/111(1)/2020-24509/EST/14/2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा श्री ओम प्रकाश गोस्वामी, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा का स्थानान्तरण प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल किया गया, जिसके अनुपालन में कार्मिक द्वारा तैनाती कार्यालय में दिनांक 25.06.2022 को योगदान किया गया।

चूँकि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत समस्त पात्रता सूचियाँ विभागीय वेबसाइट में अपलोड की जा चुकी थी तथा पात्र कार्मिकों द्वारा अपने ऐच्छिक स्थल भी उपलब्ध कराये जा चुके थे, अतः स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के तहत श्री ओम प्रकाश गोस्वामी, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) जिनका नाम दुर्गम से सुगम की पात्रता सूची में सम्मिलित था पर विचार किया गया। उक्त कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्प (निर्माण खण्ड, रामनगर) में पद रिक्त होने के कारण उपरोक्त वर्णित ज्ञाप दिनांक 08.07.2022 द्वारा संशोधित स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये जिसमें कार्मिक के पात्रता सूची में अंकित पूर्व कार्यालय का नाम अंकित होने से रह गया। अतः इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 528/02 व्यघ-सा0/22 दिनांक 08.07.2022 से किये गये स्थानान्तरण आदेशों को निम्नवत् सीमा तक संशोधित समझे जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं। स्थानान्तरण आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री ओम प्रकाश गोस्वामी अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, अल्मोड़ा	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर	17(1) (ग)



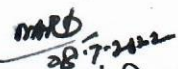
(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी,
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, नैनीताल।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामनगर।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
10. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



कार्यालय ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या 1/46628/2022 दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 529/02 व्यघ-सा0/22 दिनांक 08.07.2022 द्वारा श्री नवीन चन्द्र टम्टा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड-2 ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल का स्थानान्तरण निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को कार्यहित में किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

स्थानान्तरण वर्ष 2022-23 हेतु सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची तैयार कर विभागीय वेबसाइट में अपलोड की गयी थी। कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) के दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की प्रकाशित सूची में श्री नवीन चन्द्र टम्टा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), तत्कालीन पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा का नाम भी सम्मिलित था, जिसके क्रम में उक्त कार्मिक द्वारा अपने ऐच्छिक स्थल इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये। इस बीच शासकीय ज्ञाप संख्या 1147/111(1)/2020-24509/EST/14/2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा श्री नवीन चन्द्र टम्टा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल), पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा का स्थानान्तरण निर्माण खण्ड-2 ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल किया गया, जिसके अनुपालन में कार्मिक द्वारा तैनाती कार्यालय में दिनांक 25.06.2022 को योगदान किया गया।

चूँकि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानों के तहत समस्त पात्रता सूचियाँ विभागीय वेबसाइट में अपलोड की जा चुकी थी तथा पात्र कार्मिकों द्वारा अपने ऐच्छिक स्थल भी उपलब्ध कराये जा चुके थे, अतः स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के तहत श्री नवीन चन्द्र टम्टा, अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) जिनका नाम दुर्गम से सुगम की पात्रता सूची में सम्मिलित था पर विचार किया गया। उक्त कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्प (निर्माण खण्ड, हल्द्वानी) में पद रिक्त होने के कारण उपरोक्त वर्णित ज्ञाप दिनांक 08.07.2022 द्वारा संशोधित स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये जिसमें कार्मिक के पात्रता सूची में अंकित पूर्व कार्यालय का नाम अंकित होने से रह गया। अतः इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 529/02 व्यघ-सा0/22 दिनांक 08.07.2022 से किये गये स्थानान्तरण आदेशों को निम्नवत् सीमा तक संशोधित समझे जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं। स्थानान्तरण आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1	श्री नवीन चन्द्र टम्टा अपर सहायक अभियन्ता (सिविल)	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, अल्मोड़ा	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी	17(1) (ग)


(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0/क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 ए0डी0बी0 लो0नि0वि0, नैनीताल।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, हल्द्वानी।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
10. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।


प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष